समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

नि.ग / 3974 - I - 15

1. निशांत तनय श्री छोटेलाल साहू
2. शिवा तनय श्री छोटेलाल साहू
3. नवीन तनय श्री छोटेलाल साहू ..... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन .. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रां. संहिता

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ म.प्र. के प्रकरण कमांक 2/स्वमेव निगरानी वर्ष 2015–16 आदेश दिनांक 06.11.2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है।

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार पर विचारण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर टीक्रमगढ़ द्वारा आवेदकगणों के विरूद्ध स्वमेव निगरानी के तहत प्रकरण प्रारंभ कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। जिसकी उन्हें अधिकारिता नहीं है। इस कारण प्रचलित कार्यवाही वैधानिक न होने से यह निगरानी विधवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि विवादित भूमि खसरा नं. 1118/1/1 रकवा 0.567 हे. जो कि आवेदकगणों के अधिपत्य एवं स्वत्व की भूमि है जिसके संबंध में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला टीकमगढ म.प्र. के समक्ष तहसीलदार जतारा के आदेश दिनांक 29.07.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने पर उपरोक्त अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था। जिसके परिपालन में विचारण न्यायालय तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण कमांक 577/बी 121/ 2010–11 में आदेश दिनांक 31.05.2011 को प्रकरण का विधिवत निराकरण करते हुए उपरोक्त भूमि आवेदकगण के नाम दर्ज किए जाने का विधि संवत आदेश पारित किया है। इस कारण से प्रचलित कार्यवाही विधि संगत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

डी. के. पारसी (एड.)
राजस्व मण्डल, मोतीमहल, म.प्र. ग्वालियर मो.: 9753355539

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3974–दो/2015 जिला टीकमगढ़

निशांत विरूद्ध म०प्र० शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 2/स्वमेव निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–05–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	